भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2629
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में उग्रवाद

†2629. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उग्रवाद में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो सूचित उग्रवाद की घटनाओं और मौतों का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उग्रवाद के समाधन के लिए और उत्तर-पूर्वी जनसंख्या को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): विगत पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में सुरक्षा की स्थिति काफी हद तक बेहतर हो गई है। वर्ष 2018 में, क्षेत्र में विद्रोह संबंधी घटनाओं की संख्या में 66% (2013-732, 2018-252), नागरिक मौतों में 79% (2013-107, 2018-23) और सुरक्षा बलों की मौतों में 23% (2013-18, 2018-14) तक की गिरावट हुई है। विगत पांच वर्षों (वर्ष 2014 से) के दौरान और चालू वर्ष में दिनांक 31.05.2019 तक विद्रोह से संबंधित घटनाओं का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

पूर्वोत्तर भारत				
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए नागरिक**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए उग्रवादी**
2014	824	212	20	181
2015	574	46	46	149
2016	484	48	17	87
2017	308	37	12	57
2018	252	23	14	34
2019 (31.5.19 तक)	104	16	04	02

लो.स.अ.प्र.सं. 2629

राज्य-वार				
अरुणाचल प्रदेश				
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए नागरिक**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए उग्रवादी**
2014	33	02	-	09
2015	36	01	03	05
2016	50	-	02	07
2017	61	03	-	09
2018	37	01	02	12
2019 (31.5.19 तक)	20	11	02	-
असम				
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए नागरिक**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए उग्रवादी**
2014	246	168	04	102
2015	81	09	-	49
2016	75	29	04	51
2017	33	06	03	16
2018	28	07	01	05
2019 (31.5.19 तक)	12	-	-	-
मणिपुर				
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए नागरिक**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए उग्रवादी**
2014	278	16	08	23
2015	229	15	24	41
2016	233	11	11	09
2017	167	23	08	22
2018	127	08	07	10
2019 (31.5.19 तक)	50	04	-	02

अ.प्र.सं. 2629

मेघालय				
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए नागरिक**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए उग्रवादी**
2014	179	24	06	35
2015	123	12	07	25
2016	68	08	-	15
2017	28	02	-	06
2018	15	04	01	03
2019 (31.5.19 तक)	02	01	-	-

मिजोरम				
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए नागरिक**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए उग्रवादी**
2014	03	-	-	-
2015	02	-	03	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	03	-	-	-
2019 (31.5.19 तक)	-	-	-	-

नागालैंड				
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए नागरिक**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए उग्रवादी**
2014	77	01	-	12
2015	102	09	09	29
2016	58	-	-	05
2017	19	03	01	04
2018	42	03	03	04
2019 (31.5.19 तक)	20	-	02	-

त्रिपुरा				
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए नागरिक**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए उग्रवादी**
2014	08	01	02	-
2015	01	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019 (31.5.19 तक)	-	-	-	-

केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति का अनुसरण कर रही है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय और विकास/पुनर्वास संबंधी पहलें शामिल हैं। केंद्र सरकार उन गुटों के साथ बातचीत करने की नीति को अपना रही है जो हिंसा का मार्ग त्यागना चाहते हैं और भारत के संविधान के ढांचे के अंतर्गत अपनी मांगों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान चाहते हैं। सरकार ने ऐसे गुटों के साथ वार्ता करने के लिए प्रतिनिधि/वार्ताकार नियुक्त किए हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती, राज्य पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता, भारतीय रिजर्व बटालियनों के गठन और आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के पुनर्वास, राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, विद्रोही गुटों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 'विधिविरुद्ध संगठन' और 'आतंकवादी संगठन' के रूप में प्रतिबंधित करने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के प्रयोजनार्थ विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित करने और एकसमान कमान संरचना के लिए अधिसूचनाएं जारी करने जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है।

*****